

प्रेस नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 22.11.2025

चोरी का अपराध करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के पैसे बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना सिकरीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 422/2025 धारा 305,331(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1. सतोंष पुत्र स्व0 राजेश निवासी ग्राम कोहरूटी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, 2. राहुल पुत्र हरिशचन्द निवासी डेबरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से चोरी के कुछ पैसे बरामद किया गया, शेष की बरामदगी का प्रयास किया जा रहै है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 20/11.2025 की रात्रि मे वादी की दुकान का ताला तोडकर गल्ले से दस हजार छः सौ रुपये चोरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सतोंष निषाद पुत्र स्व राजेश निषाद निवासी ग्राम कोहरूटी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. राहुल यादव पुत्र हरिश्चन्द यादव निवासी डेबरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 422/2025 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस थाना सिकरीगंज गोरखपुर

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 422/2025 धारा 305, 331(4),317(2) बीएनएस थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 346/2024 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 300/2023 धारा 457,380,411 भा0द0सं0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार राय थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 दीपक कुमार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 राहुल यादव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर